वेभागीय अधिकारी (रा.) लैलूँगा जिला रायगढ छत्तीसगढ

क्रमॉक 343 / क / वाचक / 2017 लैलूँगा दि. 4–8–2017.

प्रति,

कलेक्टर
(भू–अभिलेख शाखा)
रायगढ

विषय :– घरघोड़ा–लैलूँगा रोड (22.690 कि.मी.) चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 7.990 हे. (विवरण निम्नानुसार उल्लेखित है) वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

संदर्भ :– आपका पत्र क. 541 / भू–अ.लि. / 2017 रायगढ दि. 25–4–2017।

––0––

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत 1– आरक्षित वन 1– ग्राम आमापाली आर.एफ. 177 रकबा 1.441 हे. आर.एफ. 178 रकबा 1.510 हे. 2– ग्राम राजाआमा आर.एफ. 179 रकबा 0.850 हे .2– संरक्षित वन 1– ग्राम आमापाली पी.एफ. 194 रकबा 0.567 हे.2– ग्राम राजाआमा पी.एफ. 196 रकबा 0.399 हे. पी.एफ 197 रकबा 1.273 हे. 3–- ग्राम फूलीकुण्डा पी.एफ. 288 रकबा 1.495 हे. पी.एफ. 290 रकबा 0.455 हे. भूमि पर वन अधिकार मान्यता संबंधी प्रभावित भूमि का जॉच राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग के अमलों से कराकर संयुक्त जॉच प्रतिवेदन, एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव नकल प्राप्त कर संलग्न किया गया है।

संलग्न जॉच प्रतिवेदन, ग्राम सभा प्रस्ताव नकल के आधार पर प्रमाण पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति पर हस्ताक्षर कर एक प्रति संलग्न सादर सम्प्रेषित हैं

संलग्न :– उपरोक्तानुसार जॉच प्रतिवेदन, ग्राम सभा नकल

प्रमाण पत्र हिन्दी एंवं अग्रेजी।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
लैलूंगा, जिला- रायगढ (छ.ग.)
लैलूँगा

5.8.17

1040
10.8.17

—: प्रमाण पत्र :—

छ.ग.सडक विकास निगम लिमिटेड रायपुर हेतु द्वारा घरघोडा–लैलूँगा रोड (22.690 कि.मी.) चौडीकरण / उन्नयनीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निम्नानुसार वर्णित भूमि रकबा 7.990 हे. न भूमि व्यपवर्तन के संबंध में वन अधिकार अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

(1) प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है। तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि का कुल रकबा 7.990 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा **आरक्षित वन भूमि** ग्राम आमापाली आर.एफ –177 से रकबा 1.441 हे. आर.एफ. 178 से रकबा 1.510 हे. राजाआमा आर.एफ. 179 से रकबा 0.850 हे. **कुल रकबा 3.801 हैं.** व संरक्षित वन भूमि ग्राम आमापाली पी.एफ. 194 रकबा 0.567 हे., ग्राम राजाआमा पी.एफ.196 से रकबा 0.399 हे., पी.एफ.197 से रकबा 1.273 हे. एवं ग्राम फूलीकुण्डा पी.एफ. 288 से रकबा 1.495 हे., पी.एफ. 290 से रकबा 0.455 हे. **कुल रकबा 4.189 हे. महायोग रकबा 7.990** हे. तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक (प्रदर्श अ) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श ब) पर दर्शित है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का ग्राम सभा प्रस्ताव ग्राम पंचायत आमापाली के ग्राम आमापाली एवं ग्राम राजाआमा के श्री एतवार राठिया की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 8–7–2017 में एवं ग्राम पंचायत फुलीकुण्डा के ठाकुरराम राठिया की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दि. 6–7–2017 में रखा गया था। (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एवं इसमें निरंक प्रतिशत ग्राम सभा के तथा वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, छत्तीसगढ सड़क विकास निगम द्वारा घरघोड़ा – लैलूँगा रोड चौडीकरण /उन्नयनीकरण के कियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यंह पाया गया कि उपरोक्त प्रस्तावित क्षेत्र मे उपराक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाल व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे. में)
-	-	-	-

(3) यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम निरंक प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

(4) यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 8–7–2017 एवं 6--7–2017 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (ई) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

(5) ग्राम सभा के दिनांक 8–7–2017 एवं 6–7–2017 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सूविधा विद्यमान नही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) लैलूंगा

नाम ( )
कलेक्टर एवं
अध्यक्ष– जिला वन अधिकार समिति
जिला रायगढ़
(सील)